

आदेश पत्रिका [धारा 320(2) द.प्र.सं.]

लोक अदालत खण्ड पीठ क्रमांक

21

पश्चिम निमाड़ मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक RG/446/22

न्यायालय का नाम

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
इसरावर, प.वि.

सदस्य 1.

श्री गणेश गुप्ता

सदस्य 2.

श्री दिव्य अग्रवाल

दिनांक 11.05.24

आज दिनांक 11.05.24 को लोक अदालत में प्रकरण लिया गया है।

31/5/24

प्रार्थी/प्रार्थीगण

श्रीम प्रकाश

ने द.प्र.सं. की धारा 320 (2) के अंतर्गत समझौता करने की अनुमति करने का आवेदन पेश किया। आवेदक

की पहचान श्री श्रीम प्रकाश द्वारा की गई। पूछताछ के दौरान आवेदकगण

ने व्यक्त किया कि उनके व आरोपीगण के आपस में संबंध मधुर हो गये हैं, अब कोई झगड़ा शेष नहीं है, आरोपीगण

भारतीय दण्ड विधान की धारा 294, 323, 506, 34 का आरोप है जो न्यायालय की

अनुज्ञा से शमनीय है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बाद विचार आवेदन स्वीकार किया जाता है। तथा

आवेदकगण को शमन करने की अनुज्ञा दी जाती है।

उभयपक्ष द्वारा समझौता पेश किया जो उभयपक्ष को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक

समझौता करना प्रकट किया। अतः राजीनामा विधिवत होने से स्वीकार किया जाता है।

आरोपी/गण सुरेश, नरेश, निवेश, राजन, धनील भारती को भा.द.वि. की

धारा 294, 323, 506, 34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है व उसकी जमानत व मुचलके भार मुक्त किये

जाते हैं।

प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति नष्ट की जावे/राजसात की जावें।

11/5/24
पीठासीन अधिकारी

सदस्य

सदस्य
श्री गणेश गुप्ता

श्री गणेश गुप्ता

श्री दिव्य अग्रवाल

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
इसरावर, प.वि.